न्यायालय सिविल जज जू0डि0, खलीलाबाद स्थान– बस्ती
मूलवाद सं0 47 / 1984
छांगुर बनाम तृशंकबहादुर

31.10.2017

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थनापत्र 237क2 पर सुना–

प्रार्थनापत्र 237क2 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि दौरान मुकदमा प्रतिवादी सं0 2 / 1 रामप्रसाद सिंह की मृत्यु दिनांक 02.06.2017 को हो गई है। उनके विधिक वारिसान उनके लड़के कृष्ण कुमार सिंह, रामकुमार सिंह, संदीप सिंह व उनकी विधवा मिथिलेश है। अन्य कोई विधिक वारिस नहीं है। अतः मृतक के स्थान पर उपरोक्त वारिसानों को प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रार्थनापत्र 239ग2 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं0 2 / 1 की मृत्यु दिनांक 02.06.2017 को हो गयी थी, जिनके जायज व कानूनी वारिसों के बारे में सूचना मांगी गयी थी। अगली तिथि दिनांक 05. 09.2017 को प्रार्थी मुकदमे में तारीख पता करने गया तब तक वारिसान के बारे में कोई सूचना नहीं थी तथा मुकदमे में तारीख पड़ गयी। वारिसानों के बारे में सूचना मिलने पर प्रार्थी दरख्वास्त वरासत दे रहा है। प्रार्थी ने जानबूझकर विलम्ब नहीं किया है। ऐसी दशा में प्रार्थी को दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देकर दरख्वास्त वरासत को स्वीकार किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

प्रतिवादी द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली का अवलोकन करने से विदित होता है कि प्रार्थनापत्र 237क2 प्रतिवादी सं0 2 / 1 रामप्रसाद सिंह की मृत्यु दिनांक 02.06.2017 को होने के फलस्वरूप वादपत्र में संशोधन किये जाने के आशय से दिया गया है। प्रार्थनापत्र शपथपत्र से समर्थित है। वादी द्वारा विलंब की बावत प्रार्थनापत्र 239ग2 प्रस्तुत करते हुए धारा 5 कानून अधिनियम की मियाद देने की बात कही गई। वादी द्वारा विलंब के बावत उल्लिखित कारण उचित प्रतीत होता है। वादी को धारा 5 कानून मियाद अधिनियम का लाभ देने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है। अतः न्यायालय की राय में, प्रार्थनापत्र 239ग2 हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र 237क2 न्यायहित में स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थनापत्र 239ग2 मु0 100 / – रूपए हर्जे पर स्वीकार करते हुए प्रार्थनापत्र 237क2 स्वीकार किया जाता है। वादी आवश्यक संशोधन अंदर दस दिन करे। पत्रावली वास्ते अतिरिक्त वादोत्तर / अतिरिक्त वादबिन्दु दिनांक 15.11.2017 को पेश हो।

सिविल जज जू0डि0,
खलीलाबाद, स्थान–बस्ती